ISSN: 2349-1876 (Print) | ISSN : 2454-1826 (Online)

ग्रामीण विकासः पंचायती राज संस्थाएं

डा0 अनीता बाजपेयी
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र विभाग
श्री जय नारायणन पी.जी. कॉलेज लखनऊ।

किसी भी क्षेत्र का विकास तब तक संभव नहीं है जबतक उसके गांवों का विकास न किया जाय। क्योकि देश की कुल आबादी का लगभग 68 प्रतिशत लोग गांवों में निवास करते है। **महात्मा गांधी ने कहा था कि** ''जिस प्रकार यह ब्रहमाण्ड स्वयं में विद्यमान है उसी प्रकार भारत गांवों में बसता है'' ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय कृषि या कृषि पर आधरित अन्य उद्योग धन्धें हैं । गांव से जनसंख्या का शहर की ओर पलायन गांव के अस्तित्व के सामने एक बड़ा संकट खडा है। जाहिर सी बात है कि यदि हम गांव में बुनियादी सुविधाएंउपलब्ध नहीं करा पायेंगे तो पलायन को नही रोक सकते। गांव की अपनी एक संस्कृति होती है वहां के विकास की अपनी एक अलग परिभाषा है। हम गांव के विकास के लिए यदि वहां उपलब्ध संसाधन का इस्तेमाल करके बुनियादी सुविधाएं जुटाने का प्रयास करें तो गांव की संस्कृति पर भी किसी प्रकार का अघात नहीं होगा। और विकास भी होगा। गांव के विकास में पंचायतों का महत्व आरम्भ से ही रहा है। पंचायतें गांव की रीढ होती थी। क्योकि सभी नियम कानून पंचायतों द्वारा ही लागू किये जाते थे। भारत सरकार को भी अब यह आभास होने लगा था कि भारत के गांवों का विकास करने के लिय पंचायतों को मजबूत बनाना होगा। गांवों में स्वशासन एवं विकास के लिये पंचायतों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्रमीण सामुदायों के विकास में लोंगो को शामिल करने में सामुदायिक विकास कार्यक्रम (CDP) की असफलता का भी कारण पंचायतों का कमजोर होना था। इसीलिये बलवन्त मेहता समिति का गठन किया गया । जिसकी। सिफारिशो पर पंचायाती राज की स्थापना की गयी पंचायाती राज के मुख्य उदेश्य इस प्रकार है:–

1. जनतान्त्रीकरण
2. विकेन्द्रीकरण
3. आधुनिकीकरण

भारत में पंचायती राज उदविकास की लम्बी प्रक्रिया के माध्यम से अस्तित्व में आया इसके विस्तार का विश्लेषण इस प्रकार से किया जा सकता है। 1950 से 1960 तक और 1961 से 1964 तक, 1965 से 1985 तक, 1986 से 1992 तक और 1993 से 2000 तक।

1992 के संविधान (73वें संशोंधन) अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संघीय लोकतंत्र के तीसरे स्तर के रूप में औपचारिक रूप से की गयी। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य लोकतान्त्रिक भागीदारी स्थानीय, विकास संसाधनों का अधिक कुशलता से इस्तेमाल और अपव्यय में कमी लाना था। 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम सभा या गांव विधान सभा की स्थापना हुई जो प्राथमिक विमर्श निकाय है, जिसके अन्दर ग्राम पंचायत या निर्वाचित अधिकारियों की ग्राम परिषद काम करती हैं। 73 वां संविधान संशोधन अधिनियाम कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं के लिये कानून बनाने की आवश्यकता हैं। यह

इन स्थानीय संस्थाओं की संरचना और संचालन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है।

1. प्रत्येक राज्य को ऐसा कानून बनाना होगा जिससे एक समान तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना हो सके। जिसमें जिला पंचायत ब्लाक पंचायत और ग्रा पंचायत होगी।
2. गाम पंचायत के सभी प्रतिनिधियों का चयन सीधे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से होगा ग्राम पंचायतों क प्रमुख का चुनाव या तो सीधे लोगों द्वारा या फिर निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा।
3. सभी सीटों में से एक तिहाई 1/3 सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित होगी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आनुपातिक प्रतिध्निधित्व दिया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जा सकता हैं।
4. सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत 5 वर्ष तक काम करना होगा अर्थात उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। यदि पंचायत भंग होती है तो भंग होने की तारीख से छह (6 माह) के भीतर चुनाव करावाए जायेंगे। प्रत्येक राज्य का राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के लिये चुनाव करायेगा।
5. प्रत्येक राज्य को पंचायती राज संस्थाओं के लिये वित्त अंतरण सम्बन्धी अनुशंसाओं के लिये का राज्य वित्त आयोग का गठन करना है। अधिनियम में करों की सूची का भी उल्लेख है। जो पंचायती राज संस्थाएं लगा सकती हैं। इसमें घर, मनोरंजन और जलकर शामिल है।
6. एक जिला योजना समिति का गठन करना होगा। जिसमें ग्रामीण और शहरी पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, विधानसभा के स्थानीय विधायक, सांसद, एवं मनोनीत अधिकारी होते है। जिला योजना समिति के पास जिले की वार्षिक विकास योजना बनाने की शक्ति होगी, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी पंचायतों का सहयोग शामिल होगा।

स्थानीय प्रशासन की समानान्तर संरचतना

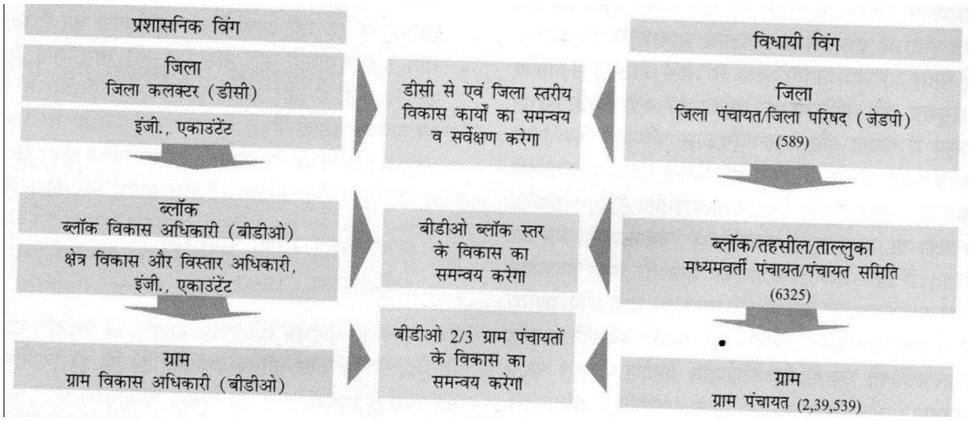

स्रोतः पंचायती राज मंत्रालय

ISSN: 2349-1876 (Print) | ISSN : 2454-1826 (Online)

73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं के दो दशकों का आंकलन

पंचायतीराज अधिनियम के बाद दो दशकों में पंचायतीराज संस्थाओं के लिये काम करने वाले संसाधन और पदाधिकारियों के हस्तारण ने प्रगति को कमजोर कर दिया है।

महिलाओं की भागीदारी

यद्यपि समग्र प्रतिनिधित्व उत्साह जनक लगता है, लेकिन होता यह छद्‌म रूपी है।

महिलाओं को अक्सर कोटा पूरा करने के किए चुना जाता है। जबकि वास्तव में पुरूष सत्ता था।इसतेमाल कर रहे है। उ0प्र0 में पंचायत अध्यक्ष प्रातः प्रधान पति पमुख पति इत्याद शब्द प्रचूर मात्रा में पुचलन में है। यहाँ पर पत्नियाँ नाम मात्र की प्रधान होती है। जबकि वास्तव में प्रधान पति ही सत्ता गौड़ हैं उ0प्र0 में कई जिले ऐसे है जहाँ महिलाएं जिला पंचायत अध्यक्ष है लेकिन उन्हें इस बात का भान ही नही है। ऐसी स्थिति उ0प्र0 के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में भी है।(बी.एस.अविष्कर एवं जार्ज मेथ्यू 2009)

महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में तो और भी व्यवहारिक विभाजन हैः महिलाएं बैठके बुलाती है और कागजी कारवाई संभालती है जबकि उनके पति बाहरी ठेकदरों और मजदूरों से निपटते है। कई बार निर्वाचित महिलाओं को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का गलत इस्तेमाल किया जाता है। प्रचलित पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण ओर जातिगत नाजिरिया एवं महिला राजनीतिक उम्मीद्‌वारों के प्रति उदासीनता अक्सर इनकी सच्ची भागीदारी में रूकावट बनती है। महिलाओं के समावेश से सश्क्तीकरण और विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। कुछ राज्यों में महिलायें उत्साजनक रूप से आगे आयी है और वे सामान्य सीटों से भी चुनाव लड़ी है। और पुरूषों को हराया हैं ।

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में ग्राम सभाओं ने ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया है।

पंचायतीराज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधियों का राज्यानुसार वास्तविक हिस्सा

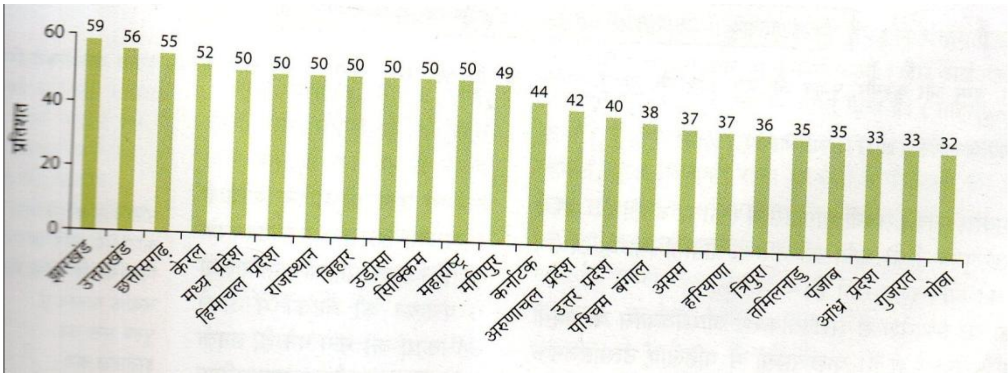

स्रोतः आई.आई.पी.ए. (2013)

पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचितजाति और जनजातियों की भागीदारी

समाज में अनुसूचितजाति एवं जनजातियों के प्रति रवैया में धीरे–धीरे बदलाव नजर आ रहा है, कुछ राज्यों में खास तौर पर जहां समाज सुधार का इतिहास रहा हैं जैसे महाराष्ट्र गुजरात और दक्षिण के राज्यों में सशक्त और मुखर संरपंचों के उदाहरण मिलते है।

उ0प्र0 में अनुसूचितजाति एवं जनजाति के पंचायत सदस्य राजनीतिक शक्ति हाशिल कर रहे हैं और सामुदायिक अधिकारों और हितों की रक्षा के लिये काम कर रहे है। (सिंह 2009) पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों ने भूमि सुधार और वामदलों की मद्द से पंचायतीराज प्रणाली के परिणाम स्वरूप आर्थिक शक्ति अर्जित की हैं। पंचायती राज प्रणाली में दलित भी अनुसूचितजाति एवं जनजातियों की तरह ही सामाजिक क्रान्ति के दौर से गुजर रहे है। लेकिन पंचायतों में अभी भी अनुसूचितजाति एवं जनजातियों के खिलाफ भेदभाव जारी है। पंचायतों में महिलाओं,अनुसूचितजाति एवं जनजातियों के लोगों का सक्रिय और सार्थक–प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के बावजूद अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है।

पंचायती राज संस्थाओं अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों का राज्यानुसार हिस्सा

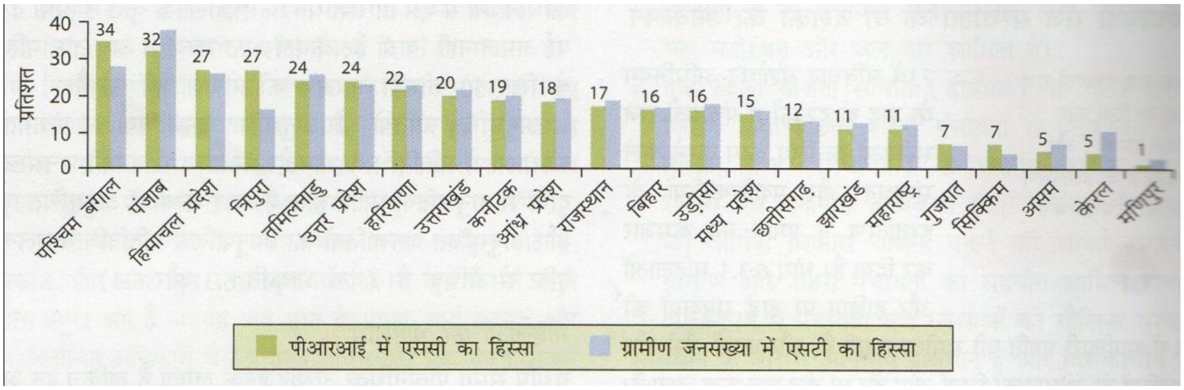

स्रोतः भारत की जनगणना (2011) : (आई.आई.पी.ए.2013)

 ISSN: 2349-1876 (Print) | ISSN : 2454-1826 (Online)

पंचायती राज संस्थाओं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों का राज्यानुसार हिस्सा

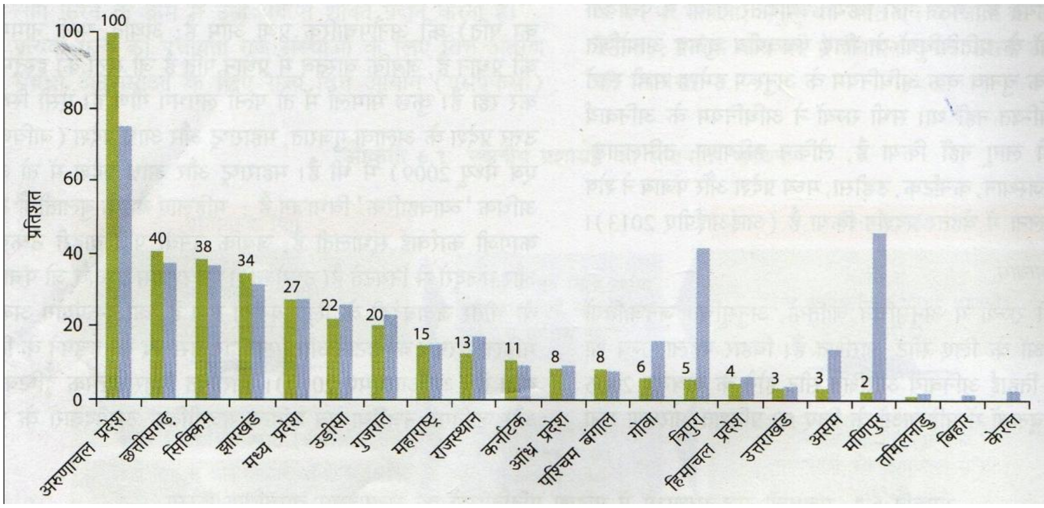

स्रोतः भारत की जनगणना (2011) : (आई.आई.पी.ए. 2013)

पंचायती राज के समक्ष चुनौतियां

दो दशकों में जैसी कि कल्पना की गयी थी। पंचायती राज संस्थाएं गतिशील सशक्त, स्थानीय स्वशासन संस्था नहीं बन पायी कारण कई हैं– राज्य सरकारें, सम्बंधित मंत्रालय और परम्परत ग्रामीण विकास एजेनसियाँ ने पंचायती राज संस्थाओं के कामों की गति धीमी कर दी, उनके संसाधनों और कर्मचारियों की संख्या घटा दी, उन्हे उनकी जिम्मेदारियों और धन के बारे में अनिश्चितता की अवस्था में छोड़ दिया और पर्याप्त तकनीकी सहायता भी उपलब्ध नहीं करायी।

भ्रष्टाचार भी एक बड़ी समस्या रही है। दबंग किस्म के लोग या राजनैतिक असामी बेईमानी से पैसा वसूल करते थे। सामाजिक अंकेक्षण या जांच भी लगभग न के बराबर होती थी। यहाँ पर जवाब देही को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता हैं। राज्य और केन्द्र सरकारे लगभग 2.4 लाख पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त और उचित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण उपलब्ध कराने में विफल रही हैं। क्षेत्राधिकार और जिम्मेदारियों की ओवर लैपिंग और नौकरशाही का नियंत्रण एवं हस्ताक्षेप भी एक बडी चुनौती रही है।

सन्दर्भ

- भारत ग्रामीण विकास रिपोर्ट 2012–13
- अहूजाराम– भारतीय समाज
- 3.सिंहसंतोष 2009 – डायनेमिक्स ऑफ इनक्लूशन एण्ड एक्सक्लूजेन इन उत्तर प्रदेश।
- बी0 एस वविष्कर और जार्ज मैथ्यू –इनक्लूशन एण्ड एक्स क्लूशन इन लोकल गर्वनेस

Copyright © 2017 *Dr. Anita Bajpayee*. This is an open access refereed article distributed under the Creative Common Attribution License which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.